REGD. NO. D. L.-33004/99



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

प्रााधकार संप्रकाशित

सं. 189]

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 15, 2017/फाल्गुन 24, 1938

No. 189]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 15, 2017/PHALGUNA 24, 1938

वित्त मंत्रालय (राजस्व विमाग) अधिसूचना नई दिल्ली, 15 मार्च, 2017

सा.का.नि. 244(अ). -राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और वित्त मंत्रालश, प्रर्वतन निदेशालय, सहायक समूह ख पद भर्ती नियम, 2015 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोग किया गया है, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, प्रर्वतन निदेशालय में सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्निक्षित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, प्रवर्तन निवेशालय, सहायक, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2017 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पर संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पद संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता. वह व्यक्ति -
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

1390 GI/2017

(1)

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुजेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति...जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

				अनुसूची	
पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक	57* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख", अराजपत्रित, अनुसचिवीय	बेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (35400-112400 रु.)	चयन	आयु 18 से 30 वर्ष के बीच टिप्पण 1: केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2: अयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख मारत में अभ्यवियों से आवेदन मार करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेपालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालँड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहील और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर विग्री टिप्पण: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या केन्द्रीय सरकार के विवेकानसार प्रिथिक की जा सकती है।	आयु: नहीं शैक्षिक अर्हताएं : नहीं	दो वर्ष	(i) 66.67 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा (ii) 33.33 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्तिः वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 (25500-81100 रू) में ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण: जड़ां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने	होंगे:-	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अबधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(2) विशेष या अपर प्रवर्तन निदेशक - सदस्य
(3) उप सचिव या निदेशक, राजस्व विभाग,
वित्त मंत्रालय - सदस्य
समूह 'ख' विभागीय पृष्टि समिति (पृष्टि के संबंध
में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित
होंगे:- - अध्यक्ष
2. विशेष या अपर प्रवर्तन निदेशक - सदस्य
3. उप सचिव या निदेशक, राजस्व विभाग,

[फा. सं. ए-12018/4/2016-ए डी. ई डी]

- सदस्य

संतोष कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

वित्त मंत्रालय

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2017

G.S.R. 244(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Finance, Department of Revenue, Directorate of Enforcement, Assistant, Group 'B' Post Recruitment Rules, 2015 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant in the Ministry of Finance, Department of Revenue, Directorate of Enforcement, namely:

- Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Revenue, Directorate of Enforcement, Assistant, Group 'B' Post Recruitment Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of said post, its classification, and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification.—No person,
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
 - shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification	Level in pay matrix.	Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Assistant	57* (2017) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non Gazetted, Ministerial.	Level 6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix.	Selection.	Between 18 to 30 years of the age. Note-1: Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note-2: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, and not the closing date prescribed for those in Assam, Megalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep	A bachelor's degree from a recognised University. Note: Qualification is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Central Government for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probat ion, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion / deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstance s in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Age: No. Educational qualifications: No Two year. (i) 66.67% by promotion. (ii) 33.3% by direct recruitment.		Promotion:- Upper Division Clerk in Level 4 (Rs. 25500- 81100) in the pay matrix with ten years regular service in the grade. Note -1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- i) Director of Enforcement- Chairman; (ii) Special or Additional Director of	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.	

being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Benforcement- Member; iii) Deputy Secretary or Director, Department of Revenue, Ministry of Finance — Member. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: (i) Director of Enforcement — Chairman; (iii) Special or Additional Director of Enforcement — Member; (iii) Deputy Secretary or Director,

[F. No. A-12018/4/2016-Ad.ED] SANTOSH KUMAR, Under Secy.